भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 496

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर संयंत्रों का अनुपालन</u>

496. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक एकल सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए 2,735 अनुपालनों की आवश्यकता होती है- जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत श्रम-संबंधी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार बोझ कम करने के लिए उक्त अनुपालना की संख्या को कम करने हेतु क्या नीतिगत, प्रशासनिक और विधिक उपाय कर रही है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ग): अनुपालन आवश्यकताएं परियोजना स्थल, क्षमता, तथा भूमि, पर्यावरण, विद्युत सुरक्षा और श्रम कानूनों से संबंधित लागू केंद्रीय और राज्य विनियमों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, जो संबंधित क्षेत्राधिकार के अनुसार लागू होती हैं।

इस मंत्रालय ने, नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनएसईएफआई) के साथ परामर्श से कुल 116 अनुमोदन/परमिट चिन्हित किए हैं जिनमें सभी क्षेत्रों में लागू सामान्य अनुमोदन शामिल हैं जो उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के लिए आवश्यक हैं।

*****